न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी बाड़मेर

पीठासीन अधिकारी प्रतिष्ठा पिलानिया आर ए एस

राजस्व अपील / 223 / रा.व.अधि. / 75 / 2019 / बाड़मेर

अपीलांट **रेस्पोडेंटगण**

1. जालाराम पुत्र श्री प्रहलादरामजी **बनाम** 1.चेतनराम पुत्र श्री पूनमारामजी वगै.

अपीलांट का प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी.पी.सी वारते निर्णय

उपस्थित

1. वकील श्री भूपेन्द्र गहलोत प्रार्थी आवेदक की ओर से
2. वकील श्री नरपतसिंह भाटी रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 की ओर से
3. श्री हरिराम चौधरी राजकीय अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 05 की ओर से।

निर्णय

दिनांकः–22.08.2022

अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए उसने उसमें अंकित बिंदुओं को दोहराते हुए बताया कि अपीलांट का खेत खसरा नम्बर 401 / 165 फुलण की ग्रेनाईट की पहाड़ी के पास ही स्थित है। उक्त पहाड़ी पर रेस्पोडेंटस ने हल्का पटवारी से मिलावट कर गलत तरमीम करा दी, व खसरा नम्बर 399 / 165 किस्म मगरा को पहाड़ी पर राजस्व अभिलेख में बता दिया व उक्त गलत तरमीम को पुख्ता करने हेतु अधीनस्थ न्यायालय में वाद संख्या 68 / 2015 पेश कर स्थायी निषेधाज्ञा भी गलत रूप से हासिल की, जिसमें अपीलांट पक्षकार नहीं है, मगर अपीलांट को खेत पाड़ौस में होने व वहां लीज आवंटन करने एवं खनन करने में अपीलांट का हित प्रभावित होगा। अपीलांट द्वारा उक्त गलत निर्णय व डिक्री के संबंध में भूमिधारक से अपील कराने हेतु जिलाधीश बाड़मेर संभागीय आयुक्त, जोधपुर व तहसीलदार समदड़ी से भी लिखित में निवेदन किया गया व तहसीलदार सगदड़ी अपीलाधीन आदेश में प्रतिवादी संख्या 01 है व उक्त निर्णय का प्रभाव जन हित व राष्ट्रीय सम्पदा पर सीधे तौर से प्रभावी हो रहा है व उक्त अवैध निर्णय की आड में हो रही अपूर्णीय हानि व राज्य के राजस्व घाटा को उभारने हेतु उक्त अपीलांट द्वारा अपील पेश की जा रही है। अपीलार्थी उक्त आलौच्य निर्णय से व्यथित पक्षकार है तथा अपील प्रस्तुत करने का अधिकारी है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलांट को सनुवाई का अवसर नहीं दिया गया। अपीलांटस / प्रार्थी अपीलाधीन निर्णय से प्रभावित एवं पिड़ित पक्षकार है। इसलिए अपीलाधीन निर्णय के विरूद्ध अपील पेश करने का हितबद्ध व प्रभावी पक्षकार होने का अधिकारी है इसलिये अपीलांट को अपील पेश करने की अनुमति दी जानी न्यायोचित है। अतः अपीलांट का आवेदन स्वीकार फरमाया जावे।

अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 व 04 ने प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर अपनी प्रारंभिक आपतियां करते हुए बहस में बताया कि अपीलांट का

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

अपीलाधीन आराजी पर कब्जा काश्त नहीं है। जालाराम दावे में पक्षकार नहीं तथा न ही पड़ौसी है। अपीलाधीन निर्णय पक्षकारों के मध्य हुए राजीनामा के अनुसार पारित किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हस्तगत वाद में वाद विस्तृत विवेचन निर्णय पारित किया गया। अपीलांट का हस्तगत प्रकरण से किसी प्रकार का कोई हित प्रभावित नहीं होता है। अपीलांट द्वारा अपील पेश कर रेस्पोडेंट को तंग एवं परेशान करने की नियत से अपील पेश की जा रही है। हस्तगत प्रकरण में अपीलांट हितबद्ध पक्षकार नहीं होने से अपीलांट द्वारा प्रस्तुत 96 सी पी सी का प्रार्थना–पत्र खारिज फरमाया जाकर अपील इसी स्टेज पर खारिज फरमाई जावे। रेस्पोडेंटस अधिवक्ता ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टांत पेश किये:–

RRD 1993 Page 44

RRD 1985 Page 584

राजकीय अभिभाषक ने अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी पर बहस करते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गैर मुमकिन पहाड़ पर स्थाई निषेधाज्ञा जारी की गई जबकि 188 में दावा पेश ही नहीं किया जा सकता। सरकार की विधिवत तामील होनी चाहिए थी जो नहीं करवाई गई। तत्कालीन पटवारी जो मूल निवासी सेंड़वा का था ने अनुसूचित जाति के व्यक्ति के नाम भूमि का आवंटन करवाया तथा खरीद की गई कृषि योग्य पहाड़ से एक किलोमीटर दूर, उसे पहाड़ बनाने के लिए अधीनस्थ न्यायालय से तरमीम दुरूस्ती करवा ली। गैर मुमकिन पहाड़ की किस्म नहीं बदल सकते। किस्म परिवर्तन नहीं हुआ तो तरमीम दुरूस्ती कैसे हुई। हस्तगत अपील में तहसीलदार को हाजा न्यायालय में उपस्थित होने के लिए लिखा गया लेकिन उसके बावजूद उपस्थित नहीं हुए। अपीलाधीन निर्णय से सरकार हितों पर पर कुठाराघात हो रहा है। श्रीमान से निवेदन है कि सरकार के हितों को नुकसान पहुंचाने वाले राजस्व कर्मचारियों के विरूद्ध माननीय राजस्व मण्डल राजस्थान अजमेर को लिखा जावे। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलोच्य निर्णय विधि के प्रावधानों के विपरित जाकर पारित किया गया। अपीलांट का आवेदन स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय व डिक्री को अपास्त फरमाया जावे तथा तरमीम के खिलाफ पुनः जांच की जावे।

उभयपक्ष को प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र पर सुना गया। पत्रावली का गंभीरता पूर्वक अवलोकन किया। अपीलाधीन आराजी रेस्पोडेंटस/वादी के कब्जा काश्त की खातेदारी कृषि भूमि है। अपीलाधीन आराजी का अपीलांट खातेदार नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कब्जा काश्त हो ऐसा कोई दस्तावेजात पत्रावली पर उपलब्ध नहीं है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांटस का हित किसी

राजस्व अपील प्राधिकारी
बाड़मेर

प्रकार से निहित है इस बाबत अपीलांट द्वारा कोई साक्ष्य सबूत पेश नहीं किये गये। अपीलांटस अधीनस्थ न्यायालय में पेश मूल दावे में पक्षकार भी नहीं है। इससे यह साफ स्पष्ट हो रहा है कि अपीलांटस वादग्रस्त भूमि का न तो खातेदार रूप में हक दर्शाता है और न ही इसका कोई सीधा संबंध ही प्रकट करता है। अपीलाधीन आराजी पर अपीलांट का कोई प्रत्यक्ष हित निहित नहीं है, न ही वह पीड़ित या प्रभावित पक्षकार ही है। उपरोक्त विवेचन एवं तथ्यों एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के आधार पर अपीलांटस वादग्रस्त आराजी का हितबद्ध, प्रभावित एवं पीड़ित पक्षकार नहीं ठहरते है। अतः अपीलांट का आवेदन अंतर्गत धारा 96 सी पी सी सारहीन होने से खारिज योग्य ठहरता है।

लिहाजा उसको अपील प्रस्तुति की अनुमति नहीं दी जा सकती। अपीलांट द्वारा प्रस्तुत आवेदन अन्तर्गत धारा 96 सी पी सी खारिज किया जाता है।

(प्रतिष्ठा पिलानिया)
राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर

यह आदेश आज दिनांक 22.08.2022 को लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

राजस्व अपील अधिकारी
बाड़मेर